सरजमल बनाम लालचन्द

दावा:- 105/2019 **कार्यालय टिप्पणी** ACM-II

श्री 2/22 पत्रावली पेश हुई वकील वादी द्वारा पूर्व की जाती रिमा वकील वादी द्वारा पालना आज दिनांक तक नहीं की गई है। आगामी में अवसर भी दिये जा चुका है। वकील वादी द्वारा न्यायालय आदेश कि अवहेलना कि गई है। वकील वादी का वाद ODRS में खारिज किया जाता है। पत्रावली की वापसी से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक श्री 2/22 को सर इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.05 16:28:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner